राजस्व वाद 51 / 2020
जीसीएमएमसा नंबर 2020 /
दोलाराम बनाम गुमानसिंह वगैरह

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा खेड़ा हीरावास तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 19,22,141,142 को तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 3810 दिनांक 21.09. 2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, जो कि निर्णय का एक भाग रहेगा। अतः निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी दौलाराम के हक बंट में मौजा खेड़ाहिरावास के खसरा नं. 141 रकवा 1.5459 हैक्टैयर में से 0.7689 हैक्टैयर पश्चिमी भाग, खसरा नं. 142 रकवा 1.6754 हैक्टेयर में से 0.8417 हैक्टैयर पश्चिमी भाग, खसरा नं 19 रकबा 0.9227 हैक्टैयर पूरा, खसरा नं. 22 रकबा 8.5712 हैक्टैयर मे से 1.5802 उतरी—पूर्वी हिस्सा रखा गया है।
2. वादी घासीराम के हक बंट में मौजा खेड़ाहिरावास के खसरा नं. 141 रकवा 1.5459 हैक्टैयर में से 0.7770 हैक्टैयर, पूर्वी भाग, खसरा नं. 142 रकबा 1.6754 हैक्टेयर में से 0.8337 हैक्टैयर पूर्वी भाग, खसरा नं. 22 रकबा 8.5712 हैक्टैयर मे से 2.5029 हैक्टेयर पूर्वी—दक्षिणी हिस्सा माफिक नजरी नक्शा के हक बंट में रखा गया।
3. इसी प्रकार वादीगण दोलाराम, घासीराम, गोपीराम, बस्तीराम के संयुक्त खातेदारी में खेत खसरा नं. 22 रकबा 8.5712 में से आवागमन हेतु 0.0809 हैक्टर भूमि उतरी मध्य माफिक नजरी नक्शा रखी गई है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 गोपीराम के हक बंट में खेत खसरा नं. 22 रकबा 8.5712 में से 1. 9932 हैक्टेयर पश्चिमी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी संख्या 3 बस्तीराम के खसरा नं. 22 रकबा 8.5712 हैक्टैयर में से 2.4140 हैक्टैयर मध्य भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 1 मुतदाविया खेताय में किसी प्रकार की भूमि नहीं रखी गई है।

निर्णय आज दिनांक 11/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

11/10/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned with CamScanner